

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NBSU/45/2016-17/6008-75 दिनांक 4/09/2016

विषय-प्रदेश के समस्त जनपदों की प्रथम संदर्भन इकाईयों (FRUs) पर पूर्व से क्रियाशील 120 नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) पर संविदा स्टाफ नर्सों के मानदेय एवं (कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NBSU/45/2015-16/7891, दिनांक 14.11.2015 एवं पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NBSU/45/2015-16/11087-75, दिनांक 03.03.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त दिशा निर्देशों के माध्यम से धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

प्रदेश में शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिये चिकित्सालयों के प्रसव कक्ष में न्यूबोर्न केयर कार्नर (NBCC) प्रथम संदर्भन इकाईयों (FRUs) पर नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) एवं जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है।

1- वित्त पोषण-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में पूर्व से स्वीकृत नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSUs) हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

- नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट (NBSU) हेतु FMR Code- A.8.1.1.2.f पर पूर्व से कार्यरत 249 स्टाफ नर्सों के 9 माह के मानदेय हेतु रू० 18150/- प्रतिमाह की दर से तथा 111 स्टाफ नर्सों के 3 माह के मानदेय हेतु रू० 18150/- प्रतिमाह की दर से नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।
- कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि हेतु FMR Code- A.2.2.2 पर 120 "नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट" (NBSU) के संचालन हेतु रू० 5000/- प्रति इकाई के अनुसार कुल रू० 6.00 लाख की धनराशि नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

पूर्व से क्रियाशील 120 नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण नीचे जनपदवार तालिकानुसार निम्नवत है -

